(213)

न्यायालय :— श्रीमान राजस्व मंण्डल अधिकारी महोदय ग्वांलियर

(कैम्प भोपाल) नि.रा.मं-0308/2019/होशंगाबाद/भू.रा.सं.

श्रवण कुमार 45 वर्ष आत्मज चैनसिंह पूर्विया निवासी
ग्राम माछा तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद

..................आवेदक / पुनरिक्षणकर्ता

/ / बनाम / /

सुजानसिंह आयु 50 वर्ष आत्मज चैनसिंह निवासी ग्राम
ग्राम माछा तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद

...............अनावेदक / उत्तरवादी

पुनरिक्षण अंर्तगत धारा 50 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता

पुनरिक्षणकर्ता यह पुनरिक्षण माननीय अपर आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा प्रकरण कं0 384 / अपील / वर्ष 2017-18 पक्षकार सुजानसिंह विरूद्ध श्रवण कुमार में पारित आदेश दिनांक 08 / 01 / 2019 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्य एंव विधि के बिन्दु पर माननीय न्यायालय के समक्ष न्याय प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत कर रहा है

आवेदक / पुनरिक्षणकर्ता की ओर से विनय है :—

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1.... यह कि आवेदक / पुनरिक्षणकर्ता द्वारा माननीय तहसीलदार महोदय सोहागपुर के समक्ष भू—राजस्व संहिता की धारा 109 , 110 के तहत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम माछा तहसील सोहागपुर जिला होशंगाबाद में स्थित भूमि खसरा नं0 809 रकवा 1.619 हैक्टयर भूमि (जिसे आगे विवादित भूमि के नाम से संबोधित किया गया है) भूमि स्वामी जमनाबाई उर्फ जानकीबाई पूर्विया जो आवेदक की मां थी के नाम राजस्व अभिलेखो में बाहैसियत भूमि स्वामी के दर्ज थी उपरोक्त भूमि जमनाबाई को बटवारें में प्राप्त हुई थी इसलिए वह उपरोक्त भूमि की एकमेव भूमि स्वामी थी ।

श्रवण

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-0308/2019/ [illegible]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-19	आवेदक अधिवक्ता श्री आशीष गुप्ता उपस्थित । उनके द्वारा प्रकरण सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस चाहा गया । प्रकरण आवेदक के निवेदन पर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु वापिस किया जाता है । अध्यक्ष	28/2/19